क़ब्र

आख़िरत की पहली मन्ज़िल

52

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़े अल्लाह तआला के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर। व बअद!

यह बात अमूमन हर शख़्स जानता है कि हर नफ़्स के चार दौर होते हैं।

1. माँ का पेट–जहा नफ्स बंद रहता है। वहां तंगी व अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता

2. दुनिया–जिसमें नफ्स पलता–बढ़ता है और खैर व शर कमाता है

3. क़ब्र या आलमे बरज़ख़–यह दूसरे दौर के मुक़ाबले ज़्यादा फैलाव रखता है।

4. आख़िरी ठिकाना (जन्नत या जहन्नम) इन दो कि सिवा कोई ठिकाना नहीं होगा।

इन्सान का आख़िरत का सफ़र मौत से शुरू होता है। फ़िर मौत के बाद इस सफ़र की पहली मन्ज़िल क़ब्र है। इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''बेशक़ क़ब्र आख़िरत की मन्ज़िलों में से पहली मन्ज़िल है। अगर इन्सान यहा निजात पा गया तो बाद में आने वाली मन्ज़िले इससे ज्यादा आसान होगी और अगर वह यहां निजात न पा सका तो बाद की मन्ज़िलें इससे ज़्यादा सख्त होगी। (इब्ने माजा–4267, तिर्मिज़ी–2308–हसन)

क़ब्र का मय्यत को दबोचना

दफ़न के बाद मय्यत को उसकी कब्र दबाती है, भींचती है चाहे वह नेक व सालेह ही क्यों न हो। जैसा कि सअद बिन मआज़ रज़ि. के बारे में अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''जिसके लिए रहमान का अर्श हरकत में आ गया, जिसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिये गये और जिसके जनाज़े में 70.000 फ़रिश्तों ने शिरकत की उसे क़ब्र

में दबोचा गया। फिर उसे छोड़ दिया गया।'' (नसाई–2055)–सही

आएशा रजि. का बयान है कि ''बेशक! क़ब्र (मय्यत को) दबोचती है और अगर कोई इससे बचा रहता तो सअद बिन मआज़ रज़ि. जरूर बचे रहते।'' (अहमद–सही अल जामेअ–1695)

क़ब्र मे मय्यत से फ़रिश्तों के सवालात

अबु हुरैरा रजि. की बयान कर्दा हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''क़ब्र में मय्यत से सवालात किये जाते हैं। अगर उसके जवाबात सही होते है तो उसे जन्नत की शादाबी और उसकी नैमतों को दिखाकर कहा जाता है कि यह तुम्हारा ठिकाना है और अगर वह जवाब सही नही दे पाता तो उसे जहन्नम और उसके शोले दिखाकर कहा जाता है कि यह है तुम्हारा ठिकाना। '' (इब्ने माजा–4268–सही)

क़ब्र में मय्यत को सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाना

अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया ''बेशक! तुम में से कोई शख़्स जब मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह व शाम पेश किया जाता है । अगर वह जन्नत वालों में से है तो अहले जन्नत का ठिकाना और अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम का ठिकाना पेश करके उसे कहा जाता है यही तुम्हारा ठिकाना है, यहां तक कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें खड़ा करें।'' (बुखारी–1379)

अज़ाबे क़ब्र

अज़ाबे क़ब्र गैबी उमूर में से है और इस बारे में हम सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह तआला ने कुरआन में या अल्लाह के रसूल सल्ल. ने अपनी अहादीस में ज़िक्र किया है इससे ज़्यादा किसी को भी कुछ नहीं मालूम। अज़ाबे क़ब्र के बरहक़ होने की दलील यह इर्शादे बारी है। आग है, जिसके सामने यह सुबह व शाम पेश किये जाते है और जिस दिन क़यामत कायम होगी (फ़रमान होगा कि) आले फ़िरऔन को सख़्त तरीन अज़ाब में डाल दो।'' (गाफिर–आयत–46) अल्लाह तआला ने इस आयत में दो अज़ाबों का ज़िक्र किया है (1) क़यामत से पहले (2) क़यामत के रोज़ हाफ़िज इब्ने कसीर रह. कहते है कि ''इस आयत में क़ब्र में अज़ाबे बरज़ख पर अहले सुन्नत की बड़ी दलील है।'' (तफ़सीर इब्ने कसीर)

आप सल्ल. ने फ़रमाया ''अगर इस बात का डर न होता कि तुम मुर्दों

को दफ़नाना छोड़ दोगे तो में अल्लाह से दुआ करता कि वह तुम्हें अज़ाबे क़ब्र सुनाता।'' (मुस्लिम–2868)
आप सल्ल. ने दो क़ब्रों के क़रीब से गुज़रते हुए फ़रमाया ''इन दोनों (क़ब्र वालों) को अज़ाब दिया जा रहा है और उन्हें यह अज़ाब इसलिए दिया जा रहा है कि इनमें से एक तो चुगलखोरी किया करता था और दूसरा अपने पेशाब (के छीटों) से नहीं बचता था।'' (बुखारी–1378, (मुस्लिम–292)

और यह कि ''अज़ाबे क़ब्र अक्सर पैशाब (के छीटों) से न बचने की वजह से होता है।'' (इब्ने माजा–348–सही)

आप सल्ल. खुद अक्सर यह दुआ किया करते थे ''ऐ अल्लाह! मैं अज़ाबे क़ब्र से, अज़ाबे जहन्नम से, जिन्दगी व मौत के फ़िल्ने से और मसीह दज्जाल के फ़िल्ने से तेरी पनाह में आता हूं।'' (बुखारी–1377)
आप सल्ल. ने यह भी फ़रमाया कि ''लोगों! अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह की पनाह चाहो, क्योंकि अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। '' (मुसनद अहमद)
''बेशक! मुर्दों को उनकी क़ब्रों में अज़ाब दिया जाता है। हत्ता कि चौपाए जानवर भी उनकी आवाज़े सुनते हैं।'' (तबरानी–सही–3548)

अज़ाबे क़ब्र से मुराद अज़ाबे बरज़ख़ है

अज़ाबे क़ब्र उसे दिया जाता है जो उसका मुस्तहिक़ हो और क़ब्र के अज़ाब से मुराद अज़ाबे बरज़ख़ है। चाहे उसे क़ब्र में दफ़न किया जाए या ना किया जाए। चाहे उसे दरिन्दे खा ले या वह आग में जला दिया गया हो यहां तक कि वह राख हो जाए और उसकी राख भी हवा में उड़ा दी जाए अगर वह अज़ाबे क़ब्र का हक़दार है तो यह अज़ाब उसके बदन व रूह तक ज़रूर पहुंचेगा। और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है

अज़ाबे क़ब्र की मुख़्तलिफ़ शक्लें

1. लोहे के हथोड़े से मारना– बेशक! बन्दे को जब उसकी क़ब्र में रखा जाता है और दफ़नाने वाले उससे पीठ मोड़ कर लोटने लगते हैं। उस वक़्त वह उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है। दो फ़रिश्ते उसके पास आते है और उसे बिठाकर पूछते है। उस शख़्स (मुहम्मद सल्ल.) के बारे में तुम क्या कहते थे? तो जो मोमिन होता है वह कहता है–मेरी गवाही यह है कि वह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल है। फ़रिश्ते उससे कहते हैं–अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में ठिकाना दे दिया है। रहा मुनाफ़िक या काफ़िर तो वह जवाब देता है–मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो वहीं कहता था जो लोग कहा करते थे। फ़रिश्ते उससे कहते हैं न तुमने मालूम कि

और न (कुरआन) पढ़ा फिर उसके कानों के बीच लोहें का हथोड़ा इस ज़ोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकलती हैं। जिन्हें सिवाए जिन्न व इन्स के बाक़ी सब मख़लूक़ सुनती है। (बुख़ारी–1374) जबकि ''मोमिन के लिए उसकी क़ब्र को 70 हाथ तक कुशादां कर दिया जाता है और क़यामत तक के लिए उसमे (जन्नत की) नैमतों और शादाबी को भर दिया जाता है।'' (मुस्लिम–2870)

2. क़ब्र में जहन्नम की आग का बिस्तर होगा।
3. क़ब्र में जहन्नम की आग का लिबास होगा।
4. जहन्नम की तरफ़ (क़ब्र का) दरवाज़ा खोल दिया जाएगा।
5. क़ब्र तंग कर दी जाएगी।
6. लोहे की सीख़ से मारा जाएगा।
7. आख़िरत में शदीद अज़ाब होगा। (अबुदाऊद–4753–सही)
8. ज़मीन में धंसना ''एक शख़्स तकब्बुर से अपनी चादर घसीट रहा था। इसी दौरान उसे ज़मीन में धंसा दिया गया। तो (अब) वह क़यामत तक ज़मीन ही में ग़ौता खाता रहेगा।'' (बुख़ारी–5343, मुस्लिम–3894)
9. बांछों को गुद्दी तक चीरना।
10. सर को पत्थर से कुचलना।
11. आग के तनूर में जलाया जाना।
12. ख़ून की नहर में पत्थरों से मारना। (बुख़ारी–7047, 1386)
13. तांबे के नाख़ूनों से चेहरों व सीनें को नोचना। (अबुदाऊद–4878–सही)
14. चोरी किये हुए माल के साथ मय्यत को जलाया जाना। (बुख़ारी–4234, मुस्लिम–115)

क़ब्र में मोमिन के लिए नैमतें

दफ़न के बाद जब लोग लौट रहे होते है, तब दो फ़रिश्ते मोमिन से उसकी क़ब्र में सवाल करते है।
तुम्हारा रब कौन है? वह जवाब देता है–मेरा रब अल्लाह है।
तुम्हारा दीन क्या है? वह कहता है–मेरा दीन इस्लाम है
फिर फ़रिश्ते पूछते है–वह आदमी कौन है, जिसे तुम में नबी बना कर भेजा गया? वह जवाब देता है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. है। फिर आसमान से एक निदा आती है कि मेरे बन्दे ने सच कहा है इसके लिए जन्नत का एक बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और

इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो।'' (अबुदाऊद–4753–सही)

यहां ध्यान देने और याद रखने वाली बात यह है कि इन तीन सवालों के यह सही जवाब सिर्फ़ वही शख़्स दे पाएगा जिसने ज़िन्दगी में सिर्फ़ अल्लाह ही को रब माना होगा। ख़ालिस इस्लाम पर अमल पैरा रहा होगा और जिसने नबी सल्ल. की बात (हदीस) के मुक़ाबले किसी और की बात को तरजीह नहीं दी होगी।

अज़ाबे क़ब्र से निजात दिलाने वाले कुछ आमाल

मोमिन को क़ब्र में जन्नत की नैमतें अता की जाती हैं। क़ब्र में उसका अमल ही उसका बेहतरीन साथी होता है जो उसकी क़ब्र को मुनव्वर करता है। इसके अलावा कुछ आमाल ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर मोमिन को क़ब्र के अज़ाब से बचाने वाले हैं। जैसे–

1. दुश्मन की सरहद पर पहरा देना–

अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''दुश्मन की सरहद पर (अल्लाह की राह में) एक दिन एक रात पहरा देना एक महीने के रोज़ो और उसके क़याम (तहज्जुद–तरावीह) से बेहतर है। अगर वह इसी हालत में मर जाए तो उसका अमल जारी रहता है, जो वह किया करता था। इसी पर उसका रिज़्क़ जारी किया जाता है और उसे आज़माइश में डालने वाले (अज़ाबे क़ब्र) से महफ़ूज़ कर दिया जाता है।'' (मुस्लिम–1913)

2. शहादत पाना–

शहीद के लिए (ख़ास तौर पर) अल्लाह की तरफ़ से 6 इनामात है 1. ख़ून का पहला क़तरा गिरने पर उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है।

2. उसे जन्नत में उसका, ठिकाना दिखा दिया जाता है।

3. उसे क़ब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है।

4. उसे बड़ी घबराहट से भी महफ़ूज़ रखा जाता है।

5. उसके सर पर ताज रखा जाएगा। जिसका एक मोती दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, उससे बेहतर है।

6. मोटी आंखों वाली हूरों में से 72 से उसका निकाह किया जाएगा और उसके 70 रिश्तेदारों के बारें में उसकी सिफ़ारिश कुबुल की जाएगी।'' (तिर्मिज़ी–1663–सही)

ध्यान रहे इस हदीस में जिस शहीद का ज़िक्र है, यह वह शहीद है जो–

1. मुस्लिम सिपहसालार के झन्डे तले जमा हो कर लड़ने वाली फ़ौज में अल्लाह का कलमा बुलन्द करने के लिए कुफ्फ़ार से क़िताल करता हुआ मारा जाए।
2. मैदाने क़िताल में ज़ख़्मी हो कर मरा हो।
3. जिसके वुरसा ने उसकी शहादत के बदले में कोई माली मुआवजा न लिया हो।

3. सूरह मुल्क की तिलावत करना

अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''बेशक! कुरआन की एक सूरत ने जिसमें 30 आयात हैं। एक आदमी के हक़ में सिफ़ारिश की। यहां तक कि उसकी बख़्शिश कर दी गई। वह सूरह मुल्क है।'' (अबु दाऊद–1400, इब्ने माजा–3786–सही)

इब्ने मसऊद रज़ि. का बयान है कि ''जो शख़्स हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करता हो, उसे अल्लाह तआला क़ब्र के अज़ाब से महफ़ूज रखेगा। हम आप सल्ल. के ज़माने में इसे (क़ब्र के अज़ाब से) बचाने वली सूरत कहा करते थे।'' (नसाई–1475)

4. पेट की बीमारी से मरना

अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जिसे उसके पेट की बीमारी मार दे। उसे क़ब्र में अज़ाब हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। (नसाई–2052, तिर्मिज़ी 1064–सही)

5. जुमे के दिन या जुमे की रात में मरना

अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जिस मुसलमान शख़्स की मौत जुमे के दिन या जुमे की रात में हो तो अल्लाह तआला उसे अजाबे क़ब्र से बचा लेता है।'' (तिर्मिज़ी–1074–सही)

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी का ख़ात्मा ईमान व अमले सालेहा पर करे। हमारी क़ब्रों को मुनव्वर व कुशादा कर दे। क़ब्र में सवालो–जवाब के वक़्त हमें साबित क़दम रखे और हम सब को क़ब्र के अज़ाब से महफ़ूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
मो. 9214836639
9887239649
दिनांक 6/06/2012

माख़ूज
ज़ादुल ख़तीब
अज–डा. मुहम्मद इसहाक़ ज़ाहिद